भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2694

दिनांक 09 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

विषय: लेक्टोज मुक्त डेयरी उत्पाद

2694. श्री कौशल किशोरः

श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में लेक्टोज प्रतिरोधी लोगों के लिए डेयरी उत्पादों को आसान और किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बेचे जा रहे लेक्टोज-मुक्त दुग्ध उत्पादों की सरकार द्वारा उनकी मूल्य और गुणवत्ता के संबंध में उचित ढंग से विनियमन किया जा रहा है ताकि उनकी तत्काल उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाने के साथ ही इन उत्पादों के प्रयोग से किसी संभावित स्वास्थ्य संबंधी नुकसान से बचा जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) से (ड.) एफएसएसएआई ने सूचित किया है कि वर्तमान में लेक्टोज मुक्त दूध के लिए कोई मानक नहीं है। तथापि, एफएसएसएआई ने 1 मई, 2019 को लेक्टोज प्रतिरक्षा व्यक्तियों के लिए निम्न लेक्टोज/लेक्टोज मुक्त दूध के मसौदा मानकों को पणधारियों से टिप्पणियां मांगने के लिए अधिसूचित किया है। मानकों को अंतिम रूप देने के पश्चात, उक्त को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से लागू किया जाएगा जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं इसकें अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियमों को लागू करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

जहां तक मूल्य का संबंध है, इसे बाजार की मांग और आपूर्ति की परिस्थितियों तथा इसकी उत्पादन लागत के द्वारा शासित किया जाता है। विभाग दूध और दूध के उत्पादों के मूल्य को नियंत्रित नहीं करता है।

*****